# राजस्थान सरकार
# निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक– नर्सिंग / पदौ0 / एसएनओ(टीएसपी) / (एफ–91) / 2025 / 24 दिनांक–25-02-2025

## आदेश

विभागीय पदौन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक दिनांक 18.12.24 की सिफारिश के आधार पर निदेशालय के आदेश क्रमांकः नर्सिंग / पदो. / एसएनओ(टीएसपी) / एफ–91 / 2024 / 192 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत निम्नांकित नर्सिंग ऑफिसर कार्मिकों का चयन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर किया जाकर पदौन्नत किया गया है, का पदस्थापन निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:–

| क0सं0 | कर्मचारी का नाम | वर्ग | जन्मतिथि | वर्तमान पदस्थापन स्थान | पदौन्नति पर नवीन पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लाल सिंह बंजारा | | 02/01/83 | सीएचसी चिखली, डूंगरपुर | सीएचसी ओबरी, डूंगरपुर |
| 2 | देवेश कुमार राव | | 20/05/83 | एसडीएच कुशलगढ बांसवाडा | एसडीएच कुशलगढ बांसवाडा |
| 3 | अनिता कटारा | एसटी | 09/03/81 | ईएसआई चिकित्सालय डूंगरपुर | ईएसआई चिकित्सालय डूंगरपुर |
| 4 | राजेन्द्र कुमार | एसटी | 02/10/83 | सीएचसी फलासिया, डूंगरपुर | सीएचसी साबला डूंगरपुर |

1. अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों का पदस्थापन अनुसूचित क्षेत्र में ही रिक्त पदों पर किया गया है इसके अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक का पदस्थापन गैर अनुसूचित क्षेत्र में किया गया है तो ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करते हुए उनकी सूचना से निदेशालय को अवगत करावें।
2. राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक– एफ 7(1) डीओपी / ए–II / 95 दिनांक 20.06.01 एवं दिनांक 19.09.17 के परिपेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो, तो उन कार्मिकों का कार्मिक विभाग के नवीन परिपत्र क्रमांक प.7(1) कार्मिक / क–2 / 95 पार्ट जयपुर दिनांक 24.05.23, दिनांक 16.03.23 एवं 27.03.23 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यग्रहण एवं वेतन नियतन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. उक्त पदौन्नत कार्मिकों को नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 07.03.2025 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। इसके पश्चात ये आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।
4. नवीन पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में भी कार्मिक को संबंधित नियंत्रण अधिकारी कार्यग्रहण करावें तथा रिक्त पद व कार्यरत कार्मिक की सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से जरिये ई.डाक अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावेगें।

उपरोक्त शर्तों (1 से 4) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले / कार्यग्रहण करवाने वाले अधिकारी का होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें,
राज0 जयपुर

क्रमांक– नर्सिंग/पदौ0/एसएनओ(टीएसपी)/(एफ–91)/2025/24
दिनांक– 25-02-2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 (ग्रुप 3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0।
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें,
राज0 जयपुर

Certification signature by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>, Validity Unknown

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :25-02-2025 03:48:09